

भारत सरकार/Government of India परमाण ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy सचिवालय समन्वय अनुभाग/Secretariat Co-ordination Section

1 7 MAR 2009 रिनिष्टार का कार्यालय संख्या.32/1(4)/2008-एससीएस/SCS/19.5

अणुशक्ति भवन/Anushakti Bhavan. छ. शि. म मार्ग/C.S.M. Marg, मृंबई/Mumbai - 400 001.

मार्च 1 6 ,2009.

पृष्ठांकन/ENDORSEMENT

विषय : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी - 01.01.2009 से लागू संशोधित वरें।

Subject : Payment of Dearness Allowance to Central Government employees -

Revised Rates effective from 01.01.2009.

उपरोक्त विषय पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 13.03.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या. 1(1)/2009-संस्था-।।(ख) की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित है।

A copy of O.M No. 1(1)/2009-E-II(B), dated 13.03.2009 issued by Ministry of Finance. Department of Expenditure, New Delhl on the above subject is forwarded herewith for information & necessary action.

संलग्न : यथोपरि Encl : As above

(बी. दामोदरन/B. Damodaran) अनुभाग अधिकारी /Section Officer

पकवि के सभी इकाइयाँ /एनपीसीआईएल / सहायता प्राप्त संस्थाओं के प्रशासनिक प्रधान। All Administrative Heads of Units /NPCIL/ Aided Institutions of DAE.

प्रतिलिपि : 1) मुख्य लेखा नियंत्रक, पऊवि/ Chief Controller of Accounts, DAE Copy to

2) उप लेखा नियंत्रक, पकवि / Deputy Controller of Accounts, DAE

3) भूगतान और लेखा अधिकारी, पऊवि / Pay & Accounts Officer, DAE

4) विशेष कार्य अधिकारी(प्रशासन), पऊवि / OSD(Adm), DAE

5) गार्ड फाइल / Guard File

OL

ne (salary)

com to Dea hard

2/3

No. 1(1)/2009-E-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 13th March, 2009

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Payment of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 1.1.2009.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office: Memorandum No. 1 (3)/2008-E-II (B) dated 29th August, 2008 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 16% to 22% with effect from 1st January, 2009.

- The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M. No. 1 (3)/2008 -E-II (B) dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.
- 3 The additional installment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all Central Government employees.
- The payment of arrears of Dearness Allowance for the months of January and February, 2009 shall not be made before the date of disbursement of salary of March, 2009.
- These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In regard to Armed Forces personnel and Railway employees separate orders will be Issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.
- In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts

 Department are concerned, these orders issue after consultation with
 the Comptroller and Auditor General of India.

(R. Prem Anand)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard distribution list etc.

Copy (with usual number of spare copies) to C&AG, UPSC etc. as per-

malen.

10

फा.सं.1(1)/2809-संस्था-[1 (ख) भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग

नई बिल्ली, दिनांक 13 मार्च, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकारी कर्मधारियों को महंगाई भने की अदायगा - 01.01.2009 में लाग् संशोधित दर्शे।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रांतर के दिशांक 20 अगनत, 2008 के कार्यातय अपन् रोख्य 1/3)/2(X)8-संस्था-II(ख) का हवाला देने तथा यह कहते का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रपति ने केन्द्रिय संस्थार कर्मनार्थिं को मिलने नाले महागाई भर्ते की गाँजूदा दर की दिनांक (X) जनवरी, 2009 से 16 प्रतियत ने बदाकर 22 प्रतियत करने का निर्णय लिया है।

- े इस मंजालब के बिलांक 29 अंगस्त, 2008 के कार्यालय जापन हो 1(३)/2008-संस्था-11(ख) के पंग १. व अंग 5 में लिहित उपनंध इन आदेशी के अंतर्गक महोगाई गते का विनिधानन करते समय लामु किए बाते रहेंगे ।
- उन आदेशों के तहतं वेच महंगाई भने को आतिकित किसा का गुगतान केन्द्रीय सरवार के मनी कर्म कारियों को नकद किया जाएंगाने
- 4. इस आहेश के तहत जनवरी, और फरवरी, 2009 मह के लिए देंच परंगार्थ भने की बकायः गरि। के भूगताम मार्च, 2009 के बेटम सर्वितरण की नारीख से पहले नहीं किया जाएगा ।
- े अदेश स्था सेवा अनुमानों से तेतन प्राप्त करने साले असैनिक कर्मधारियों पर भी लागू होने और यह कर रक्षा संया अनुमानों के संगत शीर्ष में प्रभाय होगा । सशस्य सेनाओं के कार्मिकों और रेलवे कर्मवारियों के संधान क्रमण: रक्षा नेवालय और रेल मेंबालय सुरा अलग से आदेश जोगी किए जाएंगे ।
- ा जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियां का संबंध है, ये आर्थ के नियंत्रक महालेखा परिक्षक से परामर्श करने के बाद जारी किए जाते हैं।

उनार प्रेम आनन्द । अवर संविध, भारत सरध्य

संवा वें.

भारत सरकार के संभी मंत्रालयों/बिधार्यों को मानक वितरण सुवी के अनुसार ।

प्रतिनिधः - नियंत्रक-महालेखा परीक्षकः, संघ लोक सेवा आयोगः आदि को मानक पृष्टांकन सूची के अनुसार प्राप्त (प्राप्तान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित)।